अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 460(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1111(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड, ।।, खान अब्दुल गफ्फार खान रोड, वली सीफेस, मुंबई-400030" द्वारा "नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2005-2006 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 11 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 3.10.2008 की आधिसूचना सं. सां. आ. 2384 (अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2008-2009 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; और जिसे बाद में दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1388 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि अनुमानित लागत को दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1388(अ) द्वारा 13.50 करोड़ रुपए से 25.50 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के बारह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 25.50 करोड़ से 40.50 करोड़ रुपए तक बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 25.50 करोड़ रुपए से 40.50 करोड़ रुपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा ''नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड, ।।, खान अब्दुल गफ्फार खान रोड, वर्ली सीफेस, मुंबई-400030'' द्वारा चलाई जा रही ''नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(ख) दिनांक 8 अगस्त, 2005 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 1111(अ) की उक्त अधिसूचना को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है, नामत:

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 11, कालम (4) के सामने सारणी में, ''25.50 करोड़ रुपए'' अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए ''40.50 करोड़ रुपए'' अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।'

[सं. 90/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-**एसओ** (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)